न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–127/2021

1. शमाबेगम पत्नी मोहम्मद अख्तर पुत्र अब्दुल गफार जाति मुसलमान साकिन बीकानेर।

.....प्रार्थी

1. रहीमखां, करीमखां, यासीनखां, सादिकखां, लाला खातुन, अनवर खातुन पि0 अकबर निवासी सियासर चौगान तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :13.12.2022

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम से राजस्व तहसील खाजवूाला का चक 7 एसएसएम ए का मुरब्बा सं0 67/31 के किला नं0 18 ता 23 में 06.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीया के उक्त रकबा के चिपता अप्रार्थी सं0 1 के नाम इसी मुरब्बा के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 10.00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य के लिए आने जाने के किला मुरब्बा 67/31 के किला नं0 24, 25 में से होकर सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता कटान दर्ज नहीं है। प्रार्थीया चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। प्रार्थीया उक्त 4 बिस्वा भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 के फौत होने के कारण इसके वारिसों पत्रावली में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। वारिसों की ओर से अधिवक्ता श्री रफीकशाह ने जवाबप्रा0पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थीया के चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 18 ता 20, 21 ता 23 की 06.00 बीघा के लिए मु0नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 में 2–2 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत कर रास्ता की 2–2 बिस्वा के बदले अन्यत्र चिपती भूमि दिला दी जाये जो प्रार्थीगण सहमत है। अतः जवाब प्रा0पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया के प्रा0पत्र में वर्णित अनुतोष के बदले 2–2 बिस्वा भूमि या डीएलसी की दुगनी राशि दिलाये जाने के आदेश फरमावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/507 दिनांक 10.08.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 7 एसएसएम ए के मु0नं0 67/31 के किला नं0 18 ता 23 की 1.5174 है0 कृषि भूमि शमा बेगम पत्नी मोहम्मद अख्तर पुत्र अब्दुल गफार के नाम दर्ज है। इस मुरब्बे के पूर्वी मु0नं0 67/39 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता मौके पर चालू है। उक्त मु0नं0 67/31 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17,

24, 25 की 2.5290 है0 भूमि अनवर, करीमबक्स, यासीनखां, रहीमखां, लाला, सादकखां पुत्र अकबरखां ब.हि.ब. खातेदार रहन एसबीआई शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज है। प्रार्थीया को अपने खेत में जाने के लिए उक्त मु0नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। बहस सुनी प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रा0पत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने 2–2 बिस्वा रास्ता के बदले अन्यत्र चिपती भूमि या डीएलसी की दुगुनी राशि दिलाई जावे।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 67/31 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीया का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 7 एसएसएम ए मुरब्बा नंबर 67/31 के किला नं0 18 ता 20, 21 ता 23 की 06.00 बीघा में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 (अप्रार्थीगण) मुरब्बा नं0 67/31 के किला नं0 24, 25 में से 2–2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चक 7 एसएसएम ए के मुरब्बा नंबर 67/31 के किला नं0 24 व 25 में 2–2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 (अप्रार्थीगण) फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)